

न्यायालय-षष्ठम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ०ग०) के मो०दु०दावा निष्पादन प्रकरण
क्रमांक-138/2026 (मनदीप किस्पोट्टा वि० पारस भैंसा व अन्य)
में पारित आदेश दिनांक- 29/06/2026, की सत्यप्रतिलिपि।

29.06.2026

आवेदक सहित श्री दशरथ प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता।

अनावेदकगण अनुपस्थित।

प्रकरण कलेक्शन रिपोर्ट/मूल अभिलेख/राशि की अदायगी हेतु नियत है।

संबंधित बैंक से कलेक्शन रिपोर्ट एवं संबंधित न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त। प्रकरण में अनावेदक क्र० 03 शाखा प्रबंधक मैम्मा जनरल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से अवार्ड की जमा राशि को आवेदक को भुगतान किये जाने बावत् आवेदन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मो०दु०दा० प्र० क्र० 233/2024 मनदीप किस्पोट्टा प्रति पारस भैंसा व अन्य के नाम पर पंजीबद्ध किया गया था, जिस पर दिनांक-13.11.2025 को उक्त प्रकरण में अधिनिर्णय पारित किया गया है, और 19,600/- (उन्नीस हजार छः सौ रुपये) अवार्ड पारित किया गया है। अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अपील हेतु इस अधिकरण में राशि 9,800/- जमा किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सी०आर० क्रमांक- 78/2026 में पारित आदेश दिनांक- 30-03-2026 के परिपालन में अधिकरण में राशि 14,427/- (चौदह हजार चार सौ सत्ताईस रुपये) जमा किया गया है, अतः अधिकरण में कुल जमा राशि- 24,227/- (चौबीस हजार दो सौ सत्ताईस रुपये) को आवेदक को भुगतान करने का निवेदन किया गया है।

आवेदक अपने अधिवक्ता श्री दशरथ प्रसाद गुप्ता के साथ उपस्थित हैं। आवेदक के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पलास बिल्डिंग देवीगंज रोड अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा जारी पासबुक एवं आधार कार्ड की मूल प्रति पेश किया, जिसका प्रकरण में संलग्न छायाप्रति से मिलान कर वापस कर पावती लिया जावे। आवेदिकागण के आधार कार्ड की प्रति पेश की गयी है। आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न मो०दु०दा० प्र० क्र० 233/2024 मनदीप किस्पोट्टा प्रति पारस भैंसा व अन्य में पारित अवार्ड दिनांक-

13.11.2025 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सी०आर० क्रमांक- 78/2026 में पारित आदेश दिनांक- 30-03-2026 की सत्यापित प्रति एवं मूल प्रकरण के अवलोकन से भी

इस बात की पुष्टि होती है कि इस अधिकरण द्वारा आवेदक के पक्ष में क्षतिपूर्ति राशि- रू0 19,600/- (उन्नीस हजार छः सौ रुपये) का एवार्ड पारित किया गया है एवं आदेशित किया गया है। उक्त राशि-रू0 19,600/- (उन्नीस हजार छः सौ रुपये) में ब्याज की राशि रुपये 4,627/- (चार हजार छः सौ सत्ताईस रुपये) कुल राशि रुपये 24,227/- (चौबीस हजार दो सौ सत्ताईस रुपये) प्राप्त होंगे, उक्त राशि आवेदक को मुख्यतः उसके ईलाज में खर्च के मद में दिया जा रहा है। अतः अधिकरण के खाते में राशि जमा किए जाने पर उक्त संपूर्ण राशि आवेदक को अकाउंट पेयी चेक द्वारा तत्काल भुगतान किया जावे।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत पास बुक के परिप्रेक्ष में संबंधित बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पलास बिल्डिंग देवीगंज रोड अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 की ओर मय ज्ञापन, मूल चेक क्रमांक 248978 दिनांक-29.06.2026 को प्रेषित किया जावे।

प्रकरण में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है, अतः यह विविध व्यवहार प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में समाप्त घोषित किया जाता है। अभिलेख, अभिलेखागार में विधिवत् जमा किया जावे।

सही/-

(जनक कुमार हिड़को)

षष्ठम मो.दु.दावा अधिकरण

अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)